भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *334

दिनांक 11/08/2026 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायतों द्वारा राजस्व संग्रहण

†*334. श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ऐसा कोई आकलन किया है अथवा ऐसे किसी स्वतंत्र निष्कर्ष की जांच की है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि' स्वामित्व' योजना, जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में ग्रामीण संपत्तियों के लिए संपत्ति कार्ड जारी किए गए हैं, में ग्राम पंचायतों के स्वयं के स्रोत से राजस्व और संपत्ति कर संग्रहण को बढ़ाने की महत्वपूर्ण क्षमता है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा संपत्ति कर के माध्यम से संगृहीत की गई धनराशि सहित स्वयं के स्रोत से संगृहीत किए गए राजस्व का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सर्वेक्षित गांवों, जारी किए गए संपत्ति काडों और ऐसी ग्राम पंचायतों, जिन्होंने संपत्ति कर के निर्धारण और संग्रहण के लिए स्वामित्व अभिलेखों का उपयोग किया है, की संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने ग्राम पंचायतों के संपत्ति कर प्रशासन के साथ 'स्वामित्व' अभिलेखों के एकीकरण के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायतों के स्वयं के स्रोत से राजस्व को बढ़ाने के लिए 'स्वामित्व' संबंधी आंकड़ों के उपयोग को बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ड.) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'ग्राम पंचायतों द्वारा राजस्व संग्रहण' के संबंध में दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ **लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 334 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण**।

(क) स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को उनके मालिकाना हक का अभिलेख प्रदान करना है। इस योजना के तहत, ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के उच्च सटीकता वाले मानचित्र तैयार करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण और सतत संचालन संदर्भ स्टेशन (सीओआरएस) तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों को सीमांकित किया जाता है। इन अत्यधिक सटीक मानचित्रों से संपत्ति की सीमाओं को स्पष्ट रूप से सीमांकित करके और अधिकारों का अभिलेख तैयार करके संपत्ति से संबंधित विवादों का समाधान करने में सहायता मिलती हैं। इस योजना में संपत्ति कार्डों को जारी करने से पहले सक्षम राज्य प्राधिकारियों द्वारा जमीनी सत्यापन और आपत्तियों/विवादों के समाधान का प्रावधान किया गया है, जिससे पारदर्शिता और संपत्तियों का उचित सीमांकन सुनिश्चित होता है।

पंचायती राज मंत्रालय ने बैंक ऋण लेने पर प्रभाव का आकलन करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद के माध्यम से इस योजना का प्रभावी मूल्यांकन किया है। इस अध्ययन में स्वामित्व योजना के तहत जारी संपत्ति कार्डों के आधार पर प्राप्त बैंक ऋण की धनराशि में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अभी तक, मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, स्वामित्व संपत्ति कार्ड (राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है) के आधार पर 1,713 करोड़ रुपये के 11,147 ऋण दिये गए हैं। इस मंत्रालय द्वारा पंचायत के स्वयं के राजस्व स्रोतों या ग्राम पंचायत के संपत्ति कर पर स्वामित्व योजना के प्रभावों पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है, क्योंकि यह राज्य का विषय है जिस पर राज्य सरकारों को निर्णय लेना है।

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (H) के अनुसार, किसी राज्य का विधान-मंडल, कानून बनाकर किसी पंचायत को कर, शुल्क, टोल और फीस आदि लगाने, वसूलने और उनका उपयोग करने की शक्ति दे सकता है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, पंचायत "स्थानीय सरकार" होने के नाते राज्य का विषय है और इसलिए यह मंत्रालय पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोतों (OSR) और संपत्ति कर के आंकड़ों का ब्यौरा नहीं रखता है।

(ग) अभी तक, स्वामित्व योजना के तहत देश भर के 3.38 लाख गांवों में से 3.30 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा, 1.97 लाख गांवों के लिए 3.24 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। लगभग 2.72 करोड़ संपत्ति कार्ड संपत्ति मालिकों को वितरित किए जा चुके हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। मंत्रालय में ग्राम पंचायतों की संख्या संबंधी उन डेटा का रखरखाव नहीं किया जाता है जिन्होंने संपत्ति कर के मूल्यांकन और संग्रहण के लिए स्वामित्व अभिलेख का उपयोग किया है, क्योंकि संपत्ति कर का मूल्यांकन और संग्रहण करना संबंधित राज्य सरकारों और ग्राम पंचायतों का कार्य है।

(घ) और (ङ) 'स्थानीय सरकार' राज्य का विषय होने के कारण, इस मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के संपत्ति कर प्रशासन के साथ 'स्वामित्व' अभिलेखों के एकीकरण के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। साथ ही, मंत्रालय के पास ग्राम पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के लिए 'स्वामित्व' संबंधी आंकड़ों के उपयोग को बढ़ाने का भी कोई अलग प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, स्वामित्व योजना के अंतर्गत तैयार किए गए भू-स्थानिक (जियोस्पेशियल) डेटा और संपत्ति अभिलेखों का उपयोग राज्य सरकारों और ग्राम पंचायतों के स्तर पर अपने राजस्व स्रोतों को मजबूत करने में किया जा सकता है।

अनुलग्नक-I

'ग्राम पंचायतों द्वारा राजस्व संग्रहण' के संबंध में लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 334 जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार बैंक लोन का स्टेटस

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**ऋणों की संख्या**	**वितरित राशि (रुपये लाख में)**
मध्य प्रदेश	2202	17,777.37
राजस्थान	8808	1,51,967.83
महाराष्ट्र	37	386.96
लद्दाख	9	161.18
मिजोरम	19	304.5
जम्मू और कश्मीर	29	397.21
गुजरात	43	373
कुल	11,147	1,71,368.05

अनुलग्नक-II

'ग्राम पंचायतों द्वारा राजस्व संग्रहण' के संबंध में लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 334 जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	अधिसूचित गाव	ड्रोन उड़ान पूरी करने वाले गाँव	संपत्ति कार्ड तैयार करने वाले गांवों की संख्या	तैयार संपत्ति कार्डों की संख्या	वितरित संपत्ति कार्डों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	186	186	141	7409	7409
2	आंध्र प्रदेश	13321	13321	1067	530351	0
3	अरुणाचल प्रदेश	3647	3647	0	0	0
4	असम	946	946	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	15791	15791	3921	320313	177378
6	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	80	80	75	4397	4397
7	दिल्ली	31	31	30	8575	0
8	गोवा	410	410	410	672646	672646
9	गुजरात	14951	14900	11624	1862759	1271464
10	हरियाणा	6260	6260	6260	2515646	2515646
11	हिमाचल प्रदेश	15196	14285	364	5419	5395
12	जम्मू और कश्मीर	4497	4497	2130	81305	81305
13	झारखंड	757	240	0	0	0
14	कर्नाटक	27753	26098	5071	1060363	336872
15	केरल	597	597	0	0	0
16	लद्दाख	232	232	225	18788	15623
17	लक्षद्वीप द्वीप समूह	10	10	10	13563	13563
18	मध्य प्रदेश	43014	43014	40731	6819402	5418319
19	महाराष्ट्र	37819	37729	23657	3970943	3970943

20	मणिपुर	2555	209	0	0	0
21	मिजोरम	568	568	101	14962	1155
22	ओडिशा	2724	2724	43	3596	3596
23	पुदुच्चेरी	96	96	92	2801	2801
24	पंजाब	12083	10966	386	53591	25994
25	राजस्थान	36,277	35975	17085	1568136	1495974
26	सिक्किम	1	1	0	0	0
27	तमिलनाडु	3	3	0	0	0
28	तेलंगाना	5	5	0	0	0
29	त्रिपुरा	898	19	898	571783	571783
30	उत्तर प्रदेश	90573	90573	75424	12031301	10448949
31	उत्तराखंड	7441	7441	7441	278229	278229
	कुल	**3,38,722**	**3,30,854**	**197186**	**32416278**	**27229538**
